रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 152] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 7, 1994/चैत्र 17, 1916
No. 152] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 7, 1994/CHAITRA 17, 1916

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1994

सा. का. नि. 372(अ) :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा नियम, 1990 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा (संशोधन) नियम, 1994 है।

2. भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा नियम, 1990 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है), में :—

(क) नियम 2 के खण्ड (ग) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 5 नवम्बर, 1990 से अंतःस्थापित हुआ समझा जाएगा, अर्थात् :—

स्पष्टीकरण :—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए नियमित आधार पर नियुक्त अधिकारी अभिव्यक्ति के अंतर्गत वे सभी अधिकारी आएंगे जो 5-11-1990 से पूर्व

होने वाली रिक्तियों पर नियुक्त किए गए थे और जिनके मामले में भर्ती संबंधी कार्यवाहियां उस तारीख से पूर्व आरंभ कर दी गई थीं।

(ख) नियम 7 के उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

उपनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कनिष्ठ काल वेतन-मान की सभी रिक्तियां मूल नियमों के प्रारंभ की तारीख से चार वर्ष की अवधि तक प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी।

[संख्या—12019/1/93—बी (ए)]
नवीन चावला, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3 (i) तारीख 5-11-1990 में सा. का. नि. 892(अ) तारीख 5-11-1990 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा नियम, 1990 ऐसे समूह "क" अधिकारियों के प्रवेश को सुकर बनाने के लिए भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित किए जा रहे हैं जो 5-11-1990 से पूर्व की रिक्तियों पर नियुक्त या प्रोन्नत किए गए थे किन्तु जिन्होंने उसके पश्चात् पदग्रहण किया था। नियमों के भूतलक्षी प्रवर्तन से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 1994

G.S.R. 372(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Indian Broadcasting (Programme) Service Rules, 1990, namely :—

1. These rules may be called the Indian Broadcasting (Programme) Service (Amendment) Rules, 1994.

2. In the Indian Broadcasting (Programme) Service Rules, 1990 (hereinafter referred to as the principal rules),—

(a) in clause (c) rule 2, the following explanation shall be inserted and shall deemed to have been inserted with effect from the 5th day of November, 1990, namely :—

'Explanation.—For the purposes of this clause the expression "Officers appointed on regular basis" shall also include all officers

appointed against vacancies occurring prior to 5-11-1990 and in whose case the recruitment action had been initiated prior to that date;'

(b) for sub-rule (3) of rule 7, the following shall be substituted, namely :—

"Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), all the vacancies in Junior Time Scale shall be filled by promotion for a period of four years from the date of commencement of principal rules."

[No. 12019|1|93-B(A)]
NAVIN CHAWLA, Jt. Secy.

Foot note.—The principal rules were published vide No. G.S.R. 892(E), dated 5-11-1990 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3(i), dated 5-11-1990.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Indian Broadcasting (Programme) Service Rules, 1990 are being amended retrospectively to facilitate the induction of Group 'A' officers who were appointed or promoted against the vacancies prior to 5-11-1990 but joined thereafter. The interest of no one would be prejudicially affected by the retrospective operation of the rules.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994